दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति.

(द्वितीय प्रतिवेदन)

२८-१-१८ को प्रस्तुत किया गया ।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली.

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

द्वितीय प्रतिवेदन

२९-७-९८ को प्रस्तुत किया गया ।

समिति का गठन :

1.	श्री चाँद राम	:	सभापति
2.	श्री मेवा राम आर्य	:	सदस्य
3.	श्री इन्द्रराज सिंह	:	सदस्य
4.	श्री बलबीर सिंह	:	सदस्य
5.	श्री जय प्रकाश यादव	:	सदस्य
6.	श्री मतीन अहमद	:	सदस्य
7.	श्री जय किशन	:	सदस्य.

सचिवालय :

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	:	सचिव
2.	श्री पी. सी. अग्रवाल	:	उप सचिव
3.	श्री एन. के. गुप्ता	:	समिति अधिकारी.

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति.

मैं, दिल्ली विधान सभा की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का सभापति, समिति द्वारा इस संशोधित प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ । यह प्रतिवेदन दिनाँक- 30-3-1998 को सदन में प्रस्तुत किया गया था परन्तु सदन द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व इस प्रतिवेदन को सदन की अनुमति से पुनर्विचार हेतु वापिस ले लिया गया था । समिति ने इस प्रतिवेदन पर अपनी बैठकों में पुनर्विचार किया और यथोचित स्थानों पर इसको संशोधित किया ।

समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों के लिए पृष्ठभूमिक सामग्री उपलब्ध कराने तथा यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आभार व्यक्त करती है ।

यह प्रतिवेदन समिति ने अपनी दिनाँक - 16. 9. 1998 को सम्पन्न बैठक में स्वीकार किया ।

चाँदराम
16/9/98
चाँद राम
सभापति
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति.

दिल्ली ।
दिनाँक : 16.9.98

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

(द्वितीय प्रतिवेदन)

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का पुनर्गठन माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनाँक : 04- 08- 98 को किया गया। इस समिति ने इस अवधि में 3 बैठकें कीं तथा जो प्रतिवेदन सदन से पुनर्विचार के लिए लिया था, उस पर समिति ने पुनर्विचार किया। इस पर समिति की निम्नलिखित सिफारिशें हैं :-

1. समिति ने निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा जो विभिन्न छात्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, उनको आवश्यकता के अनुरूप दिया जाए तथा ऐसे छात्रों को न दी जाए, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक हो या वे आयकर देते हों।
   ये छात्रवृत्तियाँ गरीब विद्यार्थियों को सहायतार्थ दी जाती हैं ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इसका पूरा लाभ उठा सकें।

2. समिति ने विभिन्न छात्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार की सिफारिशें कीं :

   (क) छठी कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि 25/- रु0 से बढ़ाकर 300/-रु0 प्रतिवर्ष कर दी जाए।

   (ख) 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि 40/- रु0 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 500/- रु0 प्रतिवर्ष कर दी जाए।

   (ग) कक्षा- 9वीं और 10वीं में इन जातियों के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 50/- रु0 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 600/- रु0 प्रतिवर्ष कर दी जाए।

.....2/-

(घ) इस समय कक्षा- 11वीं व 12वीं में पढ़ रहे इन जातियों के विद्यार्थियों को, जो 300/- एवं 400/- रु० की छात्रवृत्ति मिलती थी, इसके स्थान पर समिति ने यह सिफारिश की है कि ये छात्रवृत्तियाँ इस प्रकार दी जाएं :

1. जिन विद्यार्थियों के अंक 33 प्रतिशत से अधिक परन्तु 55 प्रतिशत से कम हैं, उनको 1,000/- रु० प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाए ।
2. 11वीं कक्षा में पढ़ रहे जिन विद्यार्थियों के अंक 55 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, उन्हें 1,500/- रु० प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाए तथा जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और जिनके अंक 55 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, उन्हें 2,000/- रु० प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाए ।

<u>अनुसूचित जनजाति :</u>

समिति ने विचार किया कि दिल्ली में अनुसूचित जनजाति का वर्ग उपलब्ध नहीं है तथा भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस जाति के प्रत्याशियों के लिए सेवा/भर्ती में पद आरक्षित किए गये हैं । समिति का ऐसा अनुभव है कि इस जाति से संबंधित पद रिक्त रह जाते हैं, समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि इस जाति से संबंधित पदों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश ज़ारी किए गये हैं, वही दिल्ली में भी लागू किए जाएं ।

समिति ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी ली तथा समिति ने संतोष व्यक्त किया कि जेल में जिन आरक्षित पदों का बैक लॉग था, वह सब भर दिए गये हैं तथा अब कोई भी बैक लॉग नहीं है ।

समिति ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय के बारे में भी जाँच की तथा वहां पर दो वर्ष से 24 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद खाली थे । समिति यह सिफारिश करती है कि इन सभी आरक्षित पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाये ।

.....3/-

समाज कल्याण विभाग :

विभागीय अधिकारियों ने इस वर्ग के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं का विवरण देते हुये समिति को यह सूचित किया कि 9-10-96 को अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है :

ग्रुप "सी" के कुल पद	-	103
ग्रुप "डी" के कुल पद	-	306.

कुल 41 पद रिक्त थे । उनमें से 17 पदों पर भर्ती कर दी गई है । अब केवल 24 पदों ॥ग्रुप "सी"- 22 और ग्रुप "डी"- 2॥ पर भर्ती होनी बाकी है । समिति द्वारा पूछे जाने पर कि इन 24 पदों की स्थिति क्या है । समिति को विभागीय अधिकारी ने सूचित किया कि ग्रुप-"सी"/ग्रुप-"डी" के 24 पदों में से 5 पद भर लिए गये हैं और शेष पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है ।

समिति ने समाज कल्याण विभाग का पूरा ब्यौरा लिया तथा समिति ने पाया कि विभाग में अनुसूचित जाति के 19 पद रिक्त हैं । समिति सिफारिश करती है कि इन खाली पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के प्रयास किए जायें ।

सेवा विभाग :

यह विभाग दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा संवर्ग में सम्मिलित अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, मुख्य लिपिक एवं अधीक्षक आदि के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति से संबंधित कार्य देखता है ।

समिति को बताया गया कि ग्रेड-II ॥दास॥ में 83 में से 65 पद रिक्त हैं । भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के रिक्त पदों में परिवर्तित करने में रोक लगा दी है ।

समिति ने इस पर अपना विरोध प्रकट किया और सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जाने वाले रिक्त पदों को भारत सरकार के नियमानुसार शीघ्र भरा जाय ।

ग्रेड- III (दास)

ग्रेड-III (दास) के सभी 30 पदों को भरे जाने पर संतोष व्यक्त करते हुये समिति ने अनुसूचित जनजाति के 15 में से केवल 4 पदों को भरे जाने पर रोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति के जो पद रिक्त हैं, उन्हें भारत सरकार के नियमानुसार शीघ्र भरा जाये ।

ग्रेड- IV (दास)

विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने पर कि इस ग्रेड में अनुसूचित जाति के 105 (सीधी भर्ती) और अनुसूचित जनजाति के 90 (सीधी भर्ती) पद रिक्त हैं । विभागीय अधिकारी ने यह भी सूचित किया कि यह पद "कर्मचारी चयन आयोग" द्वारा भरे जाने हैं । आयोग को लिखे पत्रों और अनुस्मारकों का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयोग ने कहा है कि इस कार्य हेतु कोई कोटा आबंटित नहीं किया गया है क्योंकि इस कार्य हेतु दिल्ली सरकार द्वारा "अधीनस्थ चयन बोर्ड" का गठन किया गया है ।

विभागीय अधिकारी ने सूचित किया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 105 पदों के प्रत्याशियों को भेजकर इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का आश्वासन दिया है ।

समिति ने निम्नलिखित निर्णय/सिफारिशें सर्वसम्मति से लिए/कीं :-

चूंकि अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं और केन्द्र द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों से भरे जाने पर रोक लगा दी गई है इसलिए इन पदों को भारत सरकार के नियमानुसार भरे जाने पर विचार किया जाये परन्तु इन पदों को सामान्य जाति के प्रत्याशियों से न भरा जाये ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने हेतु पुरजोर कदम उठाए जाएं ।

स्वास्थ्य विभाग :

विभागीय अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि ग्रुप- डी के 105 पदों के आरक्षण का बैक लॉग है । समिति ने 105 पदों की वर्तमान वस्तुस्थिति के विषय में पूर्ण जानकारी देने का निर्देश दिया ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय :

विभागीय अधिकारी ने सूचित किया कि ग्रुड-डी के 17 रिक्त पदों पर पदोन्नति कर इन रिक्तियों को वर्ग विशेष के प्रत्याशियों द्वारा भर दिया गया है । समिति को सूचित किया गया कि विभाग 16 कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रहा है ।

शिक्षा विभाग :

समिति यह सिफारिश करती है कि शिक्षा विभाग में उप-प्रधानाचार्य पद के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति के पी.जी.टी. सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाये और उन्हें नीति के अनुसार पदोन्नत किया जाये । समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग में पूरे वर्ष में होने वाली पदोन्नतियों का पैनल एक ही बार बनाया जाये ताकि उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को "एक्सटेंडिड जोन आर्फ कन्सीड्रेशन" का पूरा लाभ प्राप्त हो सके ।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय :

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 1996 में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कुल 24 पद रिक्त थे, इनमें से अनुसूचित जाति के 3 पद और अनुसूचित जनजाति के 6 पद भरे जा चुके हैं । शेष पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । ग्रुप- सी के पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को लिखा जा चुका है और सेवाएं चयन बोर्ड इस विषय में कार्यवाही कर रहा है ।

स्केवेन्जर्स स्कीम :

विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 में 303 और वर्ष 1995-96 में 698 व्यक्तियों को ऋण दिया गया ।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत आवेदन-पत्रों की संख्या तथा उन पर कार्यवाही के विषय में पूछे जाने पर विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर समिति ने आदेश दिया कि उपरोक्त विषयों पर वर्ष 1993-94, 1994-95, व 1995-96 के दौरान निगम द्वारा चलाई गई योजनाओं के विषय में विस्तार से

.....6/-

जानकारी शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराई जाये । विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में 3,000 प्रार्थियों को ऋण देने का प्रावधान था परन्तु इस अवधि में क्रमशः 196, 303, 719 प्रार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए और ऋण दिए गये ।

अनुसूचित जाति की बस्तियों का सुधार :

इन बस्तियों में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निदेशालय दिल्ली नगर निगम के माध्यम से कार्य करवाता है । निदेशालय द्वारा इन बस्तियों के सुधार हेतु 3,40,36,000/- रुपया दिया गया । समिति ने ये कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये ।

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम :

समिति ने इस निगम के कार्यकलापों का अध्ययन किया तथा पाया कि इस निगम ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं । समिति ने निगम के वर्ष 1993-94, 1994-95 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उनके लक्ष्यों एवं प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया ।

समिति ने यह पाया कि बैंकों द्वारा जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसमें काफी रुकावटें आती हैं । अतः इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाये ।

दिल्ली नगर निगम :

छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निदेशालय नगर निगम को छात्रवृत्ति हेतु धनराशि उपलब्ध कराता है । विगत चार वर्षों में नगर निगम को प्राप्त धनराशि का उल्लेख इस प्रकार है :

1. वर्ष 1993-94 - 23,34,000/- रु०
2. वर्ष 1994-95 - 12,60,000/- रु०
3. वर्ष 1995-96 - 30,00,000/- रु०
4. वर्ष 1996-97 - 24,75,000/- रु०

विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, उन्हें पुस्तकें निःशुल्क

.....7/-

दी जाती हैं । समिति ने इच्छा प्रकट की कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्कूलों में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए ।

शुष्क शौचालय :

समिति को बताया गया कि शुष्क शौचालयों को सैप्टिक टैंक में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली नगर निगम को 3 करोड़ रुपये दिए गये हैं तथा उसके अनुसार सैप्टिक टैंक बनाने के लिए 3500/- रुपये की सहायता दी जाती है । परन्तु विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी इस योजना के अधीन कोई भी राशि नहीं दी गई है । समिति ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया तथा समिति सिफारिश करती है कि इस योजना की पूरी जानकारी सभी विधायकों निगम पार्षदों तथा आम जनता को दूरदर्शन/रेडियो तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों से दी जाए ताकि जो भी व्यक्ति अपने शुष्क शौचालयों को सैप्टिक टैंक में परिवर्तित कराना चाहते हैं, उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके और गरीब जनता को इस राशि से शुष्क शौचालयों को सैप्टिक टैंक में परिवर्तित करने में सहायता मिले और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो ।

चाँद राम
16/9/98
चाँद राम
सभापति
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति.

दिल्ली ।
दिनांक : 16.9.98

.....